प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2022**..............
2. प्र.इ.रि.सं.........472........**/2022**............ दिनांक ......14/12/2022......
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)**. धारा – **7**......
   (II) * अधिनियम ....धारा – ....
   (III) * अधिनियम...............................–............................... धाराएं...................–.......................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....261........समय.................12:00 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– सोमवार **दिनांक 06.09.2022**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 05.09.2022 वक्त 02.00 पी.एम..... ......
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – **उत्तर–पश्चिम दिशा 60 किमी**
   (ब) पता – **श्रीगंगानगर**
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–................................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री कुलविन्द्र सिंह**
   (ब) पिता/पति का नाम – **श्री गुरदयाल सिंह**
   (स) जन्म तिथि/आयु – **42 वर्ष**
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – **खेती**
   (ल) पता – **5 पी बडी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सीताराम आसेरी उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 386, सैक्टर नम्बर 1, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर हाल प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–...
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय ,

निवेदन है कि दिनांक 05.09.2022 वक्त 02.00 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो हनुमानगढ मय श्री विनय विशाल कानि0, प्राईवेट वाहन से मय लेपटाप–प्रिन्टर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह पुत्र गुरदयाल सिह, उम्र–42 वर्ष जाति–जटसिख निवासी 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु रवाना होकर वार्ता अनुसार तय गोपनीय स्थान श्रीगंगानगर के पास पहुंचे। जहां पर स्वंय प्रार्थी श्री कुलविन्द्र सिह मिला। उसने श्री सुभाष चन्द्र पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र अपने विश्वासपात्र से लिखवाना बताकर उस पर अपने हस्ताक्षर करना बताया एंव मजीद दरयाफ्त पर बताया कि मैने अपना मकान राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामप्रसाद शर्मा को किराये पर दिया हुआ था, जिसमें राजेन्द्र प्रसाद उचित मुल्य की दुकान चलाता था आज से करीब 5 माह पहले उसने वह जगह खाली कर दी तथा दूसरी जगह पर काम करना शुरू कर दिया। आज से करीब 15 दिन पहले मुझे श्री सुरेश कुमार डी.एस.ओ. श्रीगंगानगर ने फोन करके आफिस पर बुलाया और धमकाते हुए कहा कि तुमने गेहूं चुरा ली है तुम मुझे 50,000/–रूपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे उपर मुकदमा दर्ज करवाकर तुम्हे जेल भिजवा दूंगा उक्त श्री सुरेश कुमार डी.एस.ओ. स्वंय व अपने साथियों के फोन से फोन कर मुझसे 50,000/–रूपये रिश्वत की मांग कर रहा व धमकिया दे रहा है। मैं श्री सुरेश कुमार डी.एस.ओ. को 50,000/–रूपये रिश्वत न देकर उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, मेरा उनसे किसी तरह का कोई लेनदेन बकाया नहीं है व न ही कोई रंजिश है। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने के सम्बन्ध में पूछने पर परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह ने रिश्वत मांग की गोपनीय सत्यापन करवाने की स्वीकृति दी। पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को ब्यूरो कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर को संचालन की विधी समझाई गई तथा ब्यूरो के श्री विनय विशाल कानि. 576 से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी कुलविन्द्र सिह ने बताया कि मैं कल सुबह आरोपी के घर पर जाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा आप विनय विशाल कानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर मेरे पास भेज देना मैं गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा और बताया कि आरोपी रिश्वत की मांग के पश्चात मुझे ज्यादा समय नही देगा इसलिए उसे रिश्वत मांग के पश्चात जल्दी ही रिश्वत की राशि देनी होगी इस पर परिवादी कुलविन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया व श्री संदीप कुमार कानि0 को आवश्यक हिदायत दी गई। श्री सुभाष चन्द्र पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष श्री गुलाम कादर स.उ.नि. को जरिये दूरभाष दो स्वतंत्र गवाह को सुबह जल्दी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाने के निर्देश दिये गये एंव निर्देशित किया कि सुबह ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाह व आवश्यक ट्रेप सामग्री सहित गोपनीय स्थान श्रीगंगानगर पर उपस्थित आये। श्री सुभाष चन्द्र पुलिस निरीक्षक व श्री विनय विशाल कानि0 गोपनीय स्थान श्रीगंगानगर पर मुकिम हुए।

दिनांक 06.09.2022 वक्त 08.00 एएम पर श्री विनय विशाल कानि. 273 को ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। उसी दिन वक्त 10.00 एएम श्री विनय विशाल कानि0 व परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह के साथ गोपनीय सत्यापन करवाकर वापिस आये। श्री सुभाष चन्द्र निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर परिवादी श्री कुलविन्द्रसिह ने बताया कि श्री विनय विशाल कानि0 मुझे खींची चौक श्रीगंगानगर के पास मिल गया था हम वहां से रवाना होकर सुरेश कुमार डी.एस.ओ. के घर के पास पहुंचे जहां श्री विनय विशाल कानि0 द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे दे दिया, मै सुरेश कुमार डी.एस.ओ. के घर पर पहुंचा तो वहां सुरेश कुमार डी.एस.ओ. उपस्थित था, मेरी श्री सुरेश कुमार डी.एस.ओ. से मेरे उपर कार्यवाही नहीं करने संबंधी बातचीत हुई जिसमें मेरे से पूछा कितने लाकर दे रहा है तब मेरे द्वारा चालीस का कहने पर उनके द्वारा पच्चास का कहा गया व फिर मेरे द्वारा रिक्वेस्ट करने पर चालीस हजार रूपये लेने पर सहमति प्रदान की और मुझे अभी थोड़ी देर बाद ही वापिस बुलाया है, इसलिए मै रिश्वत में देने वाली राशि की व्यवस्था कर लाया हूं, विनय विशाल कानि0 ने बताया कि मै गोपनीय स्थान से रवाना होकर खींची चौक श्रीगंगानगर पहुचां जहा पर परिवादी उपस्थित मिला जिसे साथ लेकर श्री सुरेश कुमार डी.एस.ओ. के घर के पास पहुंचे जहां मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह को सुपुर्द कर दी थी, परिवादी आरोपी श्री सुरेश कुमार के घर में चला गया था मै बाहर ही गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया था, कुछ देर बाद परिवादी वापिस आया तथा उसने बताया कि मेरी श्री सुरेश कुमार डी.एस.ओ. से रिश्वत के मांग सत्यापन संबंधी वार्ता हो चुकी है, फिर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था की गई फिर मै उसे साथ लेकर हाजिर आया हूं, जिस पर परिवादी द्वारा सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री सुभाष चन्द्र पुलिस निरीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई, जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता तैयार की जायेगी।

वक्त 10.20 एएम पर श्री गुलाम कादर स.उ.नि. मय श्री हरदानसिह कनिष्ठ अभियंता व श्री मंदर सिह वरिष्ठ सहायक, जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ व ब्यूरो स्टाफ श्री हंसराज हैड़कानि0, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0,श्री संदीप कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती सोनू महिला कानि. व श्री अमन कुमार क0सहायक जरिये सरकारी वाहन मय कानि0 ड्रा0 ओमप्रकाश व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स व फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी गाड़ी की डेस बोर्ड में रखकर के गोपनीय स्थान श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वक्त 10.30 एएम पर परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह का सरकारी स्वतन्त्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। निर्देशन पर परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह ने रूबरू गवाहन की मौजूदगी में रिश्वत में दिये जाने वाले 40,000/– रू. भारतीय मुद्रा के नोट श्री सुभाषचन्द्र पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित किया जाकर ब्यूरो के श्रीमती सोनू महिला कानि0 के जरिये सरकारी गाड़ी की डेसबोर्ड से फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर रिश्वती राशि 40,000 रू के सभी नोटों पर फिनॉफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया जाकर परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह की जामा तलाशी श्री हरदानसिह स्वतंत्र गवाह से करवायी जाकर श्रीमती सोनू महिला कानि0 के जरिये परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी सामने की बांयी साईड की जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर हिदायत की गई कि आरोपित द्वारा रिश्वती राशि की मांग करने पर यही सुपुर्दशुदा पाउडर युक्त नोट उसे देकर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करे तथा आरोपित द्वारा रिश्वत राशि कहां रखी जाती है इसका भी ध्यान रखे इसके पश्चात श्रीमती सोनू महिला कानि0 के जरिये सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉलफथलीन पाउडर की दृष्टान्त कार्यवाही करवाई जाकर गवाहन एवं परिवादी को दिखाई गई तथा उक्त दोनो पाउडरों के महत्व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया परिवादी गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को ट्रेप के निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर करने एंव ईशारा संभव नही होने की स्थिति में श्री सुभाषचन्द्र पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करने के बारे में बताया जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये दृष्टान्त कार्यवाही के बाद फिनॉलफथलीन पाउडर को वापिस ब्यूरो कार्यालय में ले जाने हेतु श्रीमती सोनू महिला कानि0 को सुपुर्द किया गया, नोटों पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाये जाने के दौरान जिस अखबार को प्रयुक्त किया गया उसे जलाकर नष्ट करवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों व गिलास को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत दी गई कि वह आरोपी से मिलने से पहले वॉईस रिकॉर्ड को भली भान्ति चालू कर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 11.30 एएम पर परिवादी ने बताया कि आरोपी रिश्वत राशि किस जगह लेगा यह निश्चित नहीं है मै रास्ते में उसे फोन करके जगह पता कर लूंगा आप मेरे पीछे पीछे ही टीम के साथ आ जाना, इस पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री हरदानसिह गवाह, श्री गुलाम कादर स.उ.नि., श्री हसंराज हैड़कानि0, वरूण कुमार कानि0 निजि प्राईवेट कार से मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स व अन्य ट्रेप सामग्री सहित, श्री विनय विशाल कानि0, श्री मंदर सिह गवाह, श्री संदीप कानि0 प्राईवेट कार से श्री ओमप्रकाश कानि0ड्रा., श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक प्राईवेट कार से परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह अपने निजी मोटरसाईकिल से गोपनीय स्थान से परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुए।श्रीमती सोनू महिला कानि0 को ट्रेप कार्यवाही से रूखस्त की गई।

वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी गोपनीय स्थान से धानमण्ड़ी, शिवचौक, सदर पुलिस स्टेशन की तरफ रूक रूक फोन पर वार्ता करता हुआ जा रहा था फिर काफि देर बाद बिना कोई ईशारा किये हुए वापिस श्री सुभाषचन्द्र पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि आरोपी अधिकारी द्वारा मुझे पहले शिव चौक पर बुलाया, फिर मैने उसे शिव चौक पर आकर फोन किया तो उसने सदर थाने के सामने एक गली में बुलाया, मै वहां पहुंचा तो वह नही मिला अब उससे जरिये दूरभाष संपर्क करने किया तो उसका मोबाईल फोन स्वीच आफ आ रहा है, मेरे द्वारा जो भी वार्ता आरोपी अधिकारी से की गई उनमें कुछ वार्ता को मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी किया है, इस पर परिवादी को गोपनीय स्थान पर पहुंचने व पुलिस निरीक्षक व हमराही ट्रेप पार्टी को भी गोपनीय स्थान पर पहुंचने हेतु निर्देशित कर रवाना होकर गोपनीय स्थान पर पहुंचे, जहां से परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया गया, और उसे चलाकर सुना गया तो पाया कि आरोपी अधिकारी बार–बार परिवादी को बुला रहा है। डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को लेपटॉप से जोडकर वक्त सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता व परिवादी के मोबाईल नंबर 7339950843 व आरोपी के मोबाईल नंबर 9928023580 के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड करवाकर एक डी. वी.डी. को रूबरू गवाहन एक कपड़े की थैली में सील चिट किया गया व एक डी.वी.डी. को खुला रखा गया। वक्त 05.30 पीएम इस समय परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी से जरिये दूरभाष वार्ता हुई तब उसने बताया है कि हास्पिटल में हूं मुझे समय लगेगा मै तेरे से बाद में अपने आप संपर्क कर लूंगा, आरोपी मेरे से आज रिश्वत राशि नहीं लेगा, इस पर परिवादी से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि स्वतंत्र गवाहन की

मौजूदगी में श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 के जरिये परिवादी से प्राप्त किया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर श्रीगंगानगर ही छोड़ते हुए श्री सुभाषचन्द्र पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुचे। गवाह को रूखस्त किये। परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि 40000 रू मालखाना में सुरक्षित रखवाये।

मन् गुरमेलसिह पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो एस.यू. बीकानेर को दिनांक 09.09.2022 को रात्रि के वक्त 09:15 पी.एम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो एसयू बीकानेर ने जरिये मोबाईल फोन निर्देश दिये कि एसीबी चौकी हनुमानगढ़ पर एक ट्रेप कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें आप को अग्रिम कार्यवाही कर पूर्ण करना है आप एसीबी चौकी हनुमानगढ़ पर पदस्थापित श्री गुलाम कादर सहायक उपनिरीक्षक पुलिस से सम्पर्क स्थापित कर दिनांक 10.09.2022 को सुबह 7 ए.एम श्रीगंगानगर पहुंचकर नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करें। जिस पर कार्यालय हाजा स्टाफ व एक प्राईवेट वाहन को पाबंद किया गया तथा श्री गुलाम कादर स.उ.नि. से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो गुलाम कादर स.उ.नि. ने बताया कि परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह ने आज कार्यालय पर संपर्क कर बताया है की कल सुबह श्रीगंगानगर में आरोपी द्वारा रिश्वत लेने की संभावना है अतः आप अपनी टीम सहित सुबह श्रीगंगानगर एन.एच.बाईपास पर आ जाना मै आपको वहीं पर मिल जाउंगा, जिस पर स.उ.नि. को निर्देश दिये कि आप ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण कागजात व माल वजह सबूत, आपके कार्यालय के स्टाफ व कार्यवाही में पूर्व में शामिल रहे स्वतंत्र गवाहन को लेकर श्रीगंगानगर में एन.एच. बाईपास पर सुबह करीब 07:15–07:30 एएम पर पहुंचे। दिनांक 10.09.2022 को वक्त 02:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराह श्री मंगतुराम हैड कानि 71, श्री दामोदरसिंह कानि 137, श्री जमील अहमद कानि के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेपबॉक्स व आवश्यक सामग्री लेकर बीकानेर से रवाना होकर श्रीगंगानगर में एनएच बाईपास पर वक्त 07:25 एएम पर पहुंचा जहां हनुमानगढ़ एसीबी का स्टाफ मय सरकारी गाड़ी बोलेरो उपस्थित मिला। श्री गुलाम कादर सहायक उपनिरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो हनुमानगढ़ मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही में पूर्व से शामिल रहें स्वतंत्र गवाह श्री हरदान सिह कनिष्ठ अभियंता व श्री मंदर सिह वरिष्ठ सहायक व ब्यूरो स्टाफ श्री विनय विशाल कानि., श्री वरूण कुमार कानि., श्री राजेश कुमार कानि., श्रीमती सोनू महिला कानि. उपस्थित आये है व परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह का प्रार्थना पत्र व उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कर अब तक तैयार किये गये कागजात रनिंग नोट, फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व परिवादी व आरोपी के मोबाईल से हुई वार्ताओं की, रिश्वत मांग सत्यापन व परिवादी व आरोपी के मोबाईल से हुई वार्ताओं की एक कपड़े की थैली में सील्ड डी.वी.डी. व एक खुली डी.वी.डी. पेश की, कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नं. 38, कार्यवाही प्रयुक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें मैमोरी कार्ड स्थापित है जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन व अन्य वार्ताएं रिकॉर्ड है सुपुर्द किया, व बताया की श्री राजेश कुमार कानि. के पास एक सफेद कागज में लिपटी हुई रिश्वती राशि जो कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा पेश की गई थी जिन पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगा है जो सुरक्षित है। प्रस्तुत परिवादी के प्रार्थना पत्र व अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट व फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड वार्ता वक्त रिश्वती मांग सत्यापन व परिवादी व आरोपी के मोबाईल से हुई वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तथा फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट का अवलोकन किया गया, दोनो गवाहन को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार परिवादी कुलविन्द्र सिह के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही मेरे द्वारा की जावेगी, उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहन का परिचय पूछने पर फर्दों में अंकितानुसार ही अपना नाम पता बताया व कार्यवाही में स्वेच्छा से शामिल रहने की सहमति दी।

वक्त 08:05 एएम पर एक व्यक्ति टाटा इंडिका से ब्यूरो टीम के पास आकर रूका, श्री विनय विशाल कानि. ने बताया कि यह परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह है, दोनो गवाहन ने भी परिवादी कुलविन्द्र सिह होने की पहचान की। श्री कुलविन्द्र सिह को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर बताया कि आपकी रिपोर्ट पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही मेरे द्वारा की जाएगी, जिस पर परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह ने अपना पूर्ण नाम पता कार्यवाही के कागजात में अंकितानुसार बताते हुए बताया की प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन व अब तक की कार्यवाही के तथ्यों की ताईद की। परिवादी ने बताया कि आरोपी आज अपने निवास पर मिलेगा जहां मै उनसे संपर्क कर मेरे काम के संबंध में वार्ता कर रिश्वती राशि दूंगा। तत्पश्चात आरोपी की उपस्थिति का पता करने हेतु परिवादी कुलविन्द्र सिह के मोबाईल नंबर 7339950843 से आरोपी सुरेश कुमार डी.एस.ओ. के मोबाईल नंबर 9928023580 पर कॉल करवाया परन्तु आरोपी द्वारा मोबाईल फोन रिसिव नहीं किया गया।कार्यवाही में पूर्व में परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश की गई थी जिन पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर व दृष्टान्त की कार्यवाही की गई थी जो एक सफेद कागज में लिपटी हुई श्री राजेश कुमार कानि. के पास है। दोनो स्वतंग गवाहन व परिवादी की उपस्थिति में श्री राजेश कानि. को उक्त राशि कागज से निकलवायी गई, पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट, प्रदर्शन फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया संबंधी एंव सुपुर्दगी टेपरिकॉर्डर दोनो गवाह को सुपुर्द की गई, श्री राजेश कुमार कानि. ने पाउडरयुक्त नोटो के नंबर बोल–बोलकर

परिवादी की उपस्थिति में गवाहन को दी गई फर्द से मिलान करवाया तो पांच–पांच सौ रूपये के 80 नोटों के नंबर वही पाये गये। परिवादी कुलविन्द्र सिह की जामा तलाशी गवाह श्री हरदानसिह से करवायी गई तो कोई आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया, बाद जामा तलाशी फिनॉलफथलीन पाउडर युक्त नोट श्री राजेश कानि. परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह के पहने हुए कुर्त्ते की उपरी सामने की बांयी जेब में रखवाये गये। जिस सफेद कागज में फिनॉलफथलीन पाउडर युक्त राशि लिपटी हुई थी को गवाहन व परिवादी के समक्ष श्री राजेश कुमार कानि. से जलाकर नष्ट करवाया गया, श्री राजेश कानि. के हाथ साफ साबुन पानी से धुलवाये गये, श्री राजेश कानि. को ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ की सरकारी गाड़ी बोलेरो में बैठे रहने की आवश्यक हिदायत दी गई। आरोपी की उपस्थिति का पता करने हेतु परिवादी कुलविन्द्र सिह के मोबाईल नंबर 7339950843 से आरोपी सुरेश कुमार डी.एस.ओ. के मोबाईल नंबर 9928023580 पर कॉल करवाया परन्तु आरोपी द्वारा मोबाईल फोन रिसिव नहीं किया गया। जिस पर श्री विनय विशाल कानि. को कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत की गई की परिवादी को आरोपी के मकान की तरफ रवाना करने से पूर्व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें। परिवादी व विनय विशाल कानि., श्री जमील अहमद कानि. को परिवादी की निजि कार से रवाना कर आरोपी के मकान की तरफ रवाना कर इनके पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहन हरदानसिह व मंदर सिह व ब्यूरो स्टाफ एसयू बीकानेर श्री मंगतूराम मुख्यआरक्षक, दामोदरसिह कानि. तथा ब्यूरो हनुमानगढ़ स्टाफ श्री गुलाम कादर सउनि., वरूण कुमार कानि., श्रीमती सोनू महिला कानि. प्राईवेट वाहनों से आरोपी के मकान जिदंल अस्पताल श्रीगंगानगर की तरफ रवाना होकर जिंदल अस्पताल श्रीगंगानगर के पास पहुंचें परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु उसके मकान की तरफ रवाना किया गया व ट्रेप पार्टी सदस्य अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के ईशारे के इंतजार में आरोपी के मकान के आस पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। वक्त 09:22 एएम पर परिवादी कुलविन्द्र सिह बिना ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया, जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया गया, परिवादी ने बताया कि आरोपी के मकान पर ताला लगा हुआ है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक सभी को साथ लेकर वहां से रवाना होकर श्रीगंगानगर एनएच बाईपास पर पहुंच कर गोपनीय रूप से मुकिम हुआ। परिवादी कुलविन्द्र सिह के मोबाईल नंबर 7339950843 से आरोपी सुरेश कुमार डी.एस.ओ. के मोबाईल नंबर 9928023580 पर कॉल करवाया परन्तु आरोपी द्वारा मोबाईल फोन रिसिव नहीं किया गया। गोपनीय रूप से मालूम हुआ कि आरोपी अपने मकान पर आ गया है, जिस पर विनय विशाल कानि. को कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत की गई की परिवादी को आरोपी के मकान की तरफ रवाना करने से पूर्व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें। परिवादी व विनय विशाल कानि., श्री जमील अहमद कानि. को परिवादी की निजि कार से रवाना कर आरोपी के मकान की तरफ रवाना कर इनके पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहन हरदानसिह व मंदर सिह व ब्यूरो स्टाफ एसयू बीकानेर श्री मंगतूराम मुख्यआरक्षक, दामोदरसिह कानि. तथा ब्यूरो हनुमानगढ़ स्टाफ श्री गुलाम कादर सउनि., वरूण कुमार कानि., श्रीमती सोनू महिला कानि. प्राईवेट वाहनों से आरोपी के मकान जिदंल अस्पताल श्रीगंगानगर की तरफ रवाना हुआ। जिंदल अस्पताल श्रीगंगानगर के पास पहुंचें परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु उसके मकान की तरफ रवाना किया गया व ट्रेप पार्टी सदस्य अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के ईशारे के इंतजार में आरोपी के मकान के आस पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। वक्त 11.20 एएम पर परिवादी कुलविन्द्र सिह बिना ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया, जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया गया, परिवादी ने बताया कि मै आरोपी के मकान पर पहुंच गेट खटखटाया तो मकान के प्रथम मंजिल से एक महिला आई जिससे साहब का पूछने पर पहले मेरा नाम पुछा तो मैंने अपना छोटा नाम काला सिंह बताया अभी पूछ रही हूं बाद में कहा साहब तो आफिस की तरफ गये हुए है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक सभी को साथ लेकर वहां से रवाना होकर इन्द्रा वाटिका श्रीगंगानगर पहुंचा, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होने की ताईद हुई, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गोपनीय रूप से मुकिम हुआ। परिवादी कुलविन्द्र सिह ने बताया कि मेरे पास 7791070000 से फोन आया है व फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा है कि आप मेरे से एमडी कॉलेज के पास मामा होटल के सामने आधे–पौन घंटे के बाद मिलो, आपका फायदा है आप वाला काम हो जायेगा। परिवादी ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहन व परिवादी के निजि कार से इंन्द्रा वाटिका श्रीगंगानगर से तीन पुली एमडी कॉलेज की तरफ रवाना होकर गोपनीय स्थान पर मुकीम हुए तथा परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालूकर मामा होटल की तरफ रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष हमराहीयान अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय रूप से मुकिम हुए, कुछ समय बाद एक काली हाफ बाजू की टी–शर्ट पहने हुए एक लड़का परिवादी के पास बैठकर बातचीत करने लगा। कुछ समय बाद वह लडका चला गया। उसके बाद परिवादी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया गया परिवादी ने बताया कि बातचीत करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम पता नहीं बताया है बातचीत से उसका नाम साहिल या सोनू होना लगता है, उसने मुझे कहा कि सुरेशजी कह रहे है कि राजेन्द्र ने तेरे पीछे आदमी लगा रखे है आपका थाने मे क्या रोला है, इन्हे किसी

ने फोन पर बताया है कि आप एसीबी से जुड़े हुए हो वह आपको मरवा देगा व सुरेश जी डर रहे है सूरतगढ में भी डिपो संचालको से सुरेश जी की मिलीभगती की मंत्रियों तक शिकायत हो रही है, उस दिन किसी ने फोन करके बताया कि आपके पीछे–पीछे सात–आदमी नीली कार में लगे हुए थे आदि आदि वार्ता करते हुए कहा कि मै साहब से बात करके शाम को बताउगां, मेरे द्वारा बार–बार पूछने पर भी जगह का नाम नहीं बताया, अज्ञात व्यक्ति ने यह भी बताया कि वह(सुरेशजी) थोड़ा डर रहा है। परिवादी ने यह भी बताया कि यह व्यक्ति मेरे से शाम के समय सम्पर्क कर सकता है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुना गया तो परिवादी के कथन की ताईद हुई। वार्ता में वार्ता करने वाले ने अपना नाम पता नहीं बताया है ऐसी स्थिति में अभी ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है आईन्दा आवश्यकतानुसार ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। परिवादी ने अवगत करवाया कि मेरे को अभी जरूरी कार्य है। इस पर तलविदा श्री राजेश कुमार कानि0 उपस्थित आया जिससे परिवादी की जेब में रखी पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 40000/–रूपये निकलवाकर एक सफेद पेपर में लिपटवाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवायी गई। परिवादी को हिदायत की गई की संदिग्ध व्यक्ति या आरोपी का आपके पास कॉल आये तो अविलम्ब मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर संपर्क करे, बाद हिदायत परिवादी को वक्त 02:50 पीएम पर रूखसत किया गया। वक्त 05:15 पीएम तक मन् पुलिस निरीक्षक दोनो गवाहन व ब्यूरो स्टाफ के हमराह गोपनीय स्थान पर मुकिम है परन्तु परिवादी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है जिस पर परिवादी से संपर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास आरोपी या संदिग्ध का कॉल नहीं आया है तथा मैने संदिग्ध व्यक्ति के मोबाईल जिससे पहले मेरे मोबाईल पर कॉल आया था जिस पर मेरे द्वारा कॉल किया गया तो वह नंबर बंद आ रहा था, मुझे लगता है संदिग्ध व आरोपी आज मेरे से संपर्क नहीं करेगें इस पर परिवादी को हिदायत की गई की आईन्दा जब भी आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति आपसे संपर्क करे व रिश्वत लेन–देन की सभावना हो तो तुरंत मन् पुलिस निरीक्षक से संपर्क करें। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहन व ब्यूरो स्टाफ, मालवजह सबूत, रिश्वती राशि सहित प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन से श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ के लिए रवाना होकर एसीबी चौकी हनुमानगढ पहुंचा, दोनो गवाहन को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया, एसीबी चौकी हनुमानगढ़ के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व अन्य वार्ताएं रिकॉर्ड है को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। एसीबी चौकी हनुमानगढ़ स्टाफ को फारिक किया गया, मन् पुलिस निरीक्षक ब्यूरो स्टाफ एस.यू. बीकानेर सहित रात्रि मुकिम हनुमानगढ हुआ।

11.09.2022 वक्त 09:00 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक हमराहियान मंगतुराम हैड कानि, दामोदरसिंह कानि, जमील अहमद कानि के प्रकरण हाजा का माल वजह सबूत, लैपटोप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स आदि लेकर प्राईवेट वाहन से हनुमानगढ से रवाना होकर वक्त 02:00 पी.एम कार्यालय हाजा बीकानेर पहुंचा। फिनोफ्थ्लीन पाउडरयुक्त 500–500 के 80 नोट कुल 40000/– रूपये श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक के जरिये सुरक्षित मालखाना में रखवाये तथा प्रकरण के कागजात व माल वजह सबूत मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे। अब तक के समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये।

दिनांक 28.09.2022 वक्त 05.51 पीएम पर परिवादी श्री कुलविन्द्र सिंह ने जरिये दूरभाष मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी सुरेश कुमार जिला रसद अधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर का स्थानान्तरण (एपीओ) श्रीगंगानगर से जयपुर हो गया है। संदिग्ध साहिल/सोनू नामक व्यक्ति ने भी उस दिन के बाद मेरे से कभी सम्पर्क नहीं किया है। इस कारण अब सुरेश कुमार मेरे से रिश्वती राशि नही लेगा। इसलिए मेरे द्वारा रिश्वत में दी जाने हेतु पेश की गई रिश्वती राशि मुझे वापस लौटाई दी जावे। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को बताया कि मेरी कल दिनांक 29.09.2022 को श्रीगंगानगर अदालत में तारीख पेशी है इसलिए मैं कल तारीख पेशी के बाद हनुमानगढ आ रहा हूं इसलिए आप कल दिनांक 29.09.2022 को दोपहर बाद ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ पर उपस्थित मिले। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा चौकी हनुमानगढ पर जरिये दूरभाष दोनो गवाहान को कल दिनांक 29.09.2022 को ब्यूरो चौकी हनुमानगढ पर उपस्थित आने हेतु पाबंद करने हेतु निर्देश दिये गये। श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक कार्यालय हाजा मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे प्रकरण हाजा के कागजात, कार्यवाही मे प्रयुक्त मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत की कि उक्त व मालखाना में सुरक्षित रखे फिनोफ्थ्लीन पाउडरयुक्त 40000/– रूपये लेकर आप कल दिनांक 29.09.2022 को एसीबी चौकी हनुमानगढ पहुंचना, मैं कल श्रीगंगानगर में शहादत अदा कर एसीबी हनुमानगढ पहुंच जाउंगा।

दिनांक 29.09.2022 वक्त 04.15 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस श्रीगंगानगर का रवाना शुदा ब्यूरो चौकी हनुमानगढ पहुचां। जहां पर श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76 मय प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत के उपस्थित मिला तथा पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री कुलविन्द्र सिंह व दोनो गवाह श्री हरदान सिंह, श्री मंदर सिह उपस्थित मिले। परिवादी ने मन निरीक्षक पुलिस को श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो एस.यू बीकानेर को संबोंधित एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि आरोपी डीएसओ श्री सुरेश कुमार का स्थानान्तरण(एपीओ) श्रीगंगानगर से जयपुर हो जाने के कारण वह अब उनके द्वारा मेरे से रिश्वती राशि लिये जाने की संभावना नहीं है इसलिए रिश्वती राशि मुझे लौटाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री कुलविन्द्र सिंह को उक्त गवाहान की मौजुदगी में पढ कर सुनाया, दोनो गवाहान द्वारा पढ समझ अपने अपने हस्ताक्षर

37/C

किये। प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामिल रंनिग नोट किया गया। परिवादी व दोनो गवाह के रूबरू उक्त कार्यवाही से संबंधित मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली में डालकर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। परिवादी व दोनो गवाह के रूबरू फर्द नमूना पीतल की सील नम्बर 38 तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादी व दोनो गवाह के रूबरू फर्द नष्टीकरण पीतल की सील नम्बर 38 तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई।परिवादी को दोनो गवाह के समक्ष रिश्वती राशि 40000 रू पर लगा फिनोपथलीन पाउडर को अच्छी तरह से साफ पर परिवादी को लौटा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल रंनिग नोट की गई। दोनो गवाहान व परिवादी को रूखस्त किया गया। मय निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो स्टाफ मय प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत के ब्यूरो चौकी हनुमानगढ से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय एसयू बीकानेर पहुचा। प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया।

इस प्रकार परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह से आरोपी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सीताराम आसेरी उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 386, सैक्टर नम्बर 1, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर हाल प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने पद्दीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री कुलविन्द्र सिह से राशन के गेहूं चुराने के आरोप में थाने पर प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी देकर 40000 रू रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्टया पाया गया है। अत आरोपी श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(गुरमेल सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल युनिट बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गुरमेल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सीताराम आसेरी, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 472/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 4036-39 दिनांक 14.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

14.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।